

**कुलसचिव कार्यालय**  
**गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145**

पत्रांक:- आर/डी0आर0/2675  
दिनांक:-25.08.2020


**कार्यालय आदेश**

विश्वविद्यालय में सम्बन्धित वर्ष में अध्ययनरत छात्रों से मेडिकलेम पॉलिसी मद के सापेक्ष वास्तविक दर/व्यय के अनुसार निम्नवत् शुल्क (वार्षिक) लिया जाना है:-

1. शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018-19 में रू0 444.86 प्रति छात्र।
2. शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 में रू0 754.24 प्रति छात्र।

उक्त वर्षों में मेडिकलेम पॉलिसी मद के सापेक्ष छात्रों से रू0 374.00 वार्षिक शुल्क लिया गया है। अतः शेष धनराशि की वसूली की जानी है।

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के क्रम में, उक्तवत् मेडिकलेम पॉलिसी के प्रिमियम की शेष धनराशि को वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के फीस स्कूल में जोड़ने तथा विश्वविद्यालय से "नो ड्यूज" ले जा चुके विद्यार्थियों की सुरक्षा धनराशि में से उक्त वसूली किये जाने के आदेश निर्गत किये जाते हैं।

  
(जी0 कुमार)  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि:-**

1. समस्त अधिष्ठाता } आवश्यक कार्यवाही एवं सम्बन्धित छात्र पटलों को उपरोक्तानुसार
2. वित्त नियंत्रक } वसूली के निर्देश दिये जाने हेतु
3. समन्वयक, प्रवेश अनुभाग
4. उप कुलसचिव/इन्चार्ज आई0सी0सी
5. इंचार्ज विश्वविद्यालय वेबसाईट, विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित